GLOBAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES UGC APPROVED ISSN: - 2348-0459
www.gjms.co.in
Volume-6, Issue-7, June 2017 Impact Factor: 3.987

Paper ID: UGC 48846-860

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) का ग्रामीण श्रमिक प्रवास पर प्रभाव–(चित्रकूट जिले के मानिकपुर विकास खण्ड के विशेष संदर्भ मे)

***संपूर्णानंद शुक्ला**
शोधार्थी महात्मा गॉधी चित्रकूट वि.वि. सतना म.प्र.

****अखिलेश मिश्रा**
शोधार्थी महात्मा गॉधी चित्रकूट वि.वि.
सतना म.प्र.

सारांश–मनरेगा का मूल उद्देश्य गॉवो मे रोजगार की व्यवस्था करना है । लेकिन इसका प्रभाव केवल रोजगार के अवसर सृजित करने तक ही सीमित नही है। यह कार्यक्रम असल मे ग्रामीण जीवन मे क्रान्ति का अग्रदूत सिद्ध हो रहा है। प्रस्तुत भाोध पत्रों मे चित्रकूट जिले के मानिकपुर विकास खण्ड ने मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिक प्रवास के सम्बन्ध मे आकडे एकत्रित करने के बाद यह परिणाम आया कि श्रमिक प्रवास मे कमी आयी है किन्तु अपेक्षा के अनुरूप नही है।

प्रस्तावना–ग्रामीण भारत के विकास के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर कई विकासपरक योजनायें चलाई गयों। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। मनरेगा भी इसी क्रम मे एक प्रयास है।

अकुभाल श्रमिकों के लिये रोजगार सुनिश्चित कराने हेतु राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) पारित किया गया । इस योजना की शुरूआत **आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर** जिले से 2 फरवरी 2006 को हुई । **2अक्टूबर 2009** को बापू जी की 140 वीं जयन्ती पर राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) से पुकारा गया।

यह विश्व का सबसे बडा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। अप्रैल 2000 मे इस योजना को पूरे देश मे लागू किया गया इस योजना के तहत किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क जो अकुशल श्रम करने को तैयार हो तो एक वित्त वर्ष मे उस व्यक्ति को कम स कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

मनरेगा की विशषतायें–

• श्रमिक आाधार केन्द्रित– ग्रामीण भारत का कोई भी वयस्क नागरिक जो कुभाल श्रम करने को तैयार हो उसे कार्य करने का अधिकार है।

• निश्चितता– यदि किसी वयस्क नागरिक द्वारा कार्य की मॉग की जाती है तो ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि उस वयस्क नागरिक को 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराये अन्यथा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा ।

• सर्वग्राह्यता– महात्मा गॉधी राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मे ऐसे कार्य शामिल किये जो पयावरण हितैसी सर्वसाधारण के पोषक हैं। जैसे जल संरक्षण, सूखा संभरण, वृक्षारोपण, बाढ संरक्षण, भूमि विकास, लघु सिंचाई इत्यादि,।

• श्रम गहन तकनीक– महात्मा गॉधी राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारन्टो योजना मे मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 है। ठेकेदारी एवं मशीनीकरण पूर्णतः वर्जित है मजदूरी का भुगतान बैंक एवं डाकघरों द्वारा किये जाने प्रावधान है।

• विकेन्द्रीकरण– महात्मा गॉधी राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारन्टो योजना मे ग्राम सभा द्वारा कराये जाने वाले कार्य जन सहभागिता द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य–

– चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विकास खण्ड मे मनरेगा लागू होने से पूर्व श्रमिक प्रवास की स्थिति को जानना ।

– चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विकास खण्ड मे मनरेगा लागू होने के बाद ग्रामीण श्रमिक प्रवास पर प्रभाव की स्थिति को जानना ।

– ग्रामीण श्रमिक प्रवास पर निष्कर्ष निकालना।

अध्ययन के दौरान प्रयुक्त शोध विधि–

प्रस्तुत अध्ययन महात्मा गॉधी राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विकास खण्ड मे ग्रामीण श्रमिक प्रवास पर प्रभाव के सन्दर्भ मे निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन मे एक अनुसूची जॉब कार्ड धारकों के लिये प्रयोग की गई है।

Paper ID: UGC 48846-860

प्रतिदर्श चयन– चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विकास खण्ड से 50 प्रतिशत ग्राम सभाओं मे से 10 से 20 प्रतिभात उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्भान विधि से किया गया है। इस प्रकार मानिकपुर विकास खण्ड से मनरेगा मे कार्यरत जॉबकार्ड धारकों का चयन किया गया है।

समंकीकरण– प्रस्तुत अध्ययन मे भाोधकर्ता द्वारा चयनित ग्राम सभाओं से प्राथमिक समंक एकत्रित किये गये हैं। जिसमे समंकोकरण एकत्रित करने के लिये प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

शोध का परिणाम–चयनित विकास खण्ड मानिकपुर से 2000 जॉब कार्ड धारको का विवरण पूर्व निर्धारित प्रश्नावलो के आधार पर एकत्रित किया गया है।

सारणी नं01
श्रमिक प्रवास (मनरेगा से पूर्व)

विवरण	कुल	पतिभात
हॉ	226	11.30
नही	1774	88.70
योग	2000	100.00
	स्रोतः–	प्राथमिक ऑकडो के आधार पर

चयनित 2000 जॉब कार्ड धारकों की मानिकपुर से मनरेगा के पूर्व बाहर जाने का स्थित को प्रदशित किया गया है। जिसमे यह पाया गया है कि 226 ऐसे जॉब कार्ड धारक श्रमिक हैं जो मनरेगा के पूर्व बाहर रोजगार के लिये अन्यत्र चले जाते थे जो कि कुल नमूने का 11 प्रतिशत है। तथा 1774 श्रमिकों का समूह ऐसा है जो कि मनरेगा के पूर्व रोजगार की तलाश मे बाहर नही जाते थे जो कि कुल नमूने का 89 प्रतिशत है।

सारणी नं02–
श्रमिक प्रवास मनरेगा के बाद

विवरण	श्रमिक प्रवास	मनरेगा
हॉ	147	7.35
नही	1853	92.65
योग	2000	100.00

मनरेगा लागू होने के बाद श्रमिक प्रवास की स्थित को सारणी मे प्रदशित किया गया है जिसमे यह पाया गया कि मनरेगा के लागू होने के बाद 147 ऐसे जॉब कार्ड धारक श्रमिक ह जो कि अपने क्षेत्र से श्रमकार्य के लिये बाहर गये क्योकि वे अपनी आय बढाना चाहते हैं जो कुल चयनित नमूने का लगभग 7 प्रतिशत है जबकि 1853 ऐसे जॉब कार्ड धारक है जो कि अपने क्षेत्र मे रहकर मनरेगा और अन्य स्रोत की आय से संतुष्ट है जो कि कुल नमूने का लगभग 93 प्रतिभात है।

निश्कष– उपयुर्क्त सारणी नं02 मे प्रदशित ऑकडों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निश्कर्ष निकलता है कि मनरेगा लागू होने के बाद प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चयनित जॉबकार्ड धारको श्रमिकों के श्रमिक प्रवास मे कमी आयी है किन्तु उस अनुपात मे कमी नही आई जैसा की अपेक्षा थी।

सुझाव– मनरेगा का विस्तार पूरे देभा मे है यदि सरकार श्रमिकों के लिये कार्य की गारन्टी दिन बढा दें एवं दैनिक

Paper ID: UGC 48846-860

मजदूरी मे भी मॅहगाई के सापेक्ष बृद्धि समय पर होती रहे तो श्रमिकों का पलायन निश्चित रूप से रूक सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

- कुरूक्षेत्र, (2009), नरेगा– अब गॉव में रोजगार, मासिक अंक, संस्करण अग्रहायण, पौष 1931, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली
- कुरूक्षेत्र, (मासिक पत्रिका), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, नई दिल्ली
- Parihar V.S. and Prasad P. Mishra, V Raguvendra "राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभाव, म. गॉ. चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट, सतना (म.प्र.) "
- योजना (मासिक पत्रिका), योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- प्राथमिक स्रोत से तैयार अनुसूची
- http/www.gov.in
- http/www.nrega.net
- http/www.nrega.nic.in